APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

SDO बांसवाड़ा हुक्काम बांसवाड़ा (राज.)

श्री कचरू पिता जीवा भील कोटवार निवासी पिपलोद तह. बांसवाड़ा बनाम श्री चुन्नीलाल पिता प्रभुलाल [illegible] कोटवार निवासी बांसवाड़ा

धारा 88 R.T.Act नं. 29/सन् 04

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/8/04 | पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पेश हुई। वादीगण श्री कचरू पिता जीवा भील कोटवार निवासी पिपलोद द्वारा धारा अंतर्गत धारा 88 R.T.Act प्रतिवादीगण श्री चुन्नीलाल पिता प्रभुलाल [illegible] कोटवार निवासी बांसवाड़ा के विरुद्ध पेश किया है प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.9.04 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) | |
| 29/9/04 | वादी का वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। तामील नोटिस होकर नहीं लौटे हैं। [illegible] P.O. [illegible] राजकीय [illegible] कार्य है कोर्ट में [illegible] है। पत्रावली दिनांक 8.11.04 को पेश होवे। | |
| 8/11/04 | वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण [illegible] P.O. [illegible] [illegible] हाजिर [illegible] अतः है पत्रावली दिनांक 17-1-05 को पेश होवे। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:39 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी |
|---|---|---|
| 16.1.23 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप० आये। पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गौर करने उपरान्त वाद वादी स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होने के बाद से कार्य पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakas Regar
Date: 2023.01.25 15:42:3
Reason: SelfAttested

## निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 89/2004 दायर दिनांक–19.08.2004

### उनवान

1. स्व. कचरू पुत्र श्री जीवा डिंडोर जाति भील, निवासी पिपलोद के वारिसान
1/1 श्रीमती अणदु पत्नी स्व. श्री कचरू आयु–55 वर्ष
1/2 श्रीमती वेस्ती पुत्री स्व. श्री कचरू (पत्नी दलिया) आयु–35 वर्ष
2. स्व. नाकु पुत्र हुरजी जाति भील, निवासी पिपलोद के वारिसान
2/1 पवन पुत्र स्व. श्री नाकु जाति भील
2/2 प्रवीण पुत्र स्व. श्री नाकु जाति भील
2/3 श्रीमती मनु पत्नी स्व. श्री नाकु जाति भील
3. मानजी पुत्र स्व. हुरजी जाति भील
समस्त निवासीयान् पिपलोद तहसील बांसवाड़ा

**(वादीगण)**

### बनाम

1. स्व.चुन्नीलाल पुत्र श्री प्रभुलाल चौबीसा
2. स्व.भवानीशंकर पुत्र श्री प्रभुलाल चौबीसा
3. स्व विश्वनाथ पुत्र श्री हेतलाल
4. स्व. गंगाशरण पुत्र हिम्मतराम जी
5. स्व. गौरीशंकर पुत्र श्री आन्नदराम
6. स्व. रेवाशंकर पुत्र श्री आन्नदराम
समस्त जाति ब्राहमण निवासियान् बांसवाड़ा के वारिस
1–6/1 श्री अमीत व्यास पुत्र श्री चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहमण निवासी औदिच्यवाड़ा बांसवाड़ा
7.तहसीलदार बांसवाड़ा

**(प्रतिवादीगण)**

**उपस्थिति**

1.श्री यशपाल गुप्ता **अधिवक्ता वादीगण**
2.श्री राजकुमार जैन **अधिवक्ता प्रतिवादी(1–6/1)**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

## वाद अंतर्गत धारा– 88 आर.टी एक्ट

**–:निर्णय:–** दिनांक:– 16.01.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:39 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी [illegible] कब्जे [illegible]श्त की आराजी खाता सं. 39 नया, 26 पुराना के खसरा नं 206 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा [illegible] पिपलोद पटवार क्षेत्र लोधा में स्थित है। वादी काबिज काश्त लम्बे [illegible] अनुसार लगान जमा करवा रहा है। उक्त प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा [illegible]श्त नहीं रहा है।

प्रश्नगत खसरा के संबंध में धारा 20 (1) आर.टी.ए में कार्यवाही हुयी जिसमें प्रकरण संख्या 179/61 में फरिकेन के मध्य आपसी तसफीया होने से वादी संख्या 1 के पिता जीवा पुत्र भेमजी डिंडोर को खातेदारी अधिकारी प्रदत्त किए गये थे। परन्तु उनका नाम राजस्व रिकॅार्ड में अंकित नहीं हुआ जबकि वादीगण पूर्वजों के समय से ही 50 वर्षो से काबिज काश्त

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

है प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63 (4) आर.टी.ए में समाप्त हो गये हैं एवं वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के पात्र है।

अतः वाद वादी स्वीकार फरमा उक्त प्रश्नगत आराजी के खातेदार वादीगण को घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की डिक्री फरमावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बाद तामिल नहीं लौटने पर रजिस्टर एडी सम्मन तलबाना के आदेश दिये गये परन्तु वादी ने सम्मन समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रार्थना–पत्र 09.12.05 को पेश किया जिसे स्वीकार कर बाद प्रकाशन समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के आदेश हुये। दिनांक 16.01.2006 को अमित कुमार व्यास ने प्रार्थना–पत्र बाबत् प्रतिवादीगणों की मृत्यु सूचना हेतु बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत किया जिस पर 23.02.08 को अमित व्यास को पक्षकार बनाया गया। अमित व्यास द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया।

पत्रावली पर निम्न तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्यवादी पर नियत की गयी।

**तनकी संख्या 1.**

आया वादीगण खाता संख्या 39 नया 26 पुराना के खेत सर्वे नं 206 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद पर वादीगण बापदादा के समय से काबीज होकर काश्त कर रहे हैं व वर्तमान में कब्जा काश्त वादीगण का है व नियमानुसार लगान अदा कर रहे हैं।

**(वादीगण)**

**तनकी संख्या 2.**

आया वादग्रस्त खेत संवत् 1998 में वादीगण शिकमी काश्तकार होकर काबिज रहे हैं तथा धारा 20 (1) आर.टी.एक्ट में प्रकरण संख्या 179/61 में आपसी तसफीया से वादीगण कचरू पिता जीवा को खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुये किंतु रैवेन्यू रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। वादीगण बापदादा के वक्त से 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होने के कारण खातेदार घोषित होने के पात्र हैं।

**(वादीगण)**

**तनकी संख्या 3.**

आया प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63 (4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके हैं व वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार है।

**(वादीगण)**

**तनकी संख्या 4.**

वाद का व्यवहार कारण वादीगण द्वारा जून 2004 पटवारी रेकॉर्ड देखने से उत्पन्न हुआ है।

**(वादीगण)**

**तनकी संख्या 5.**

आया सभी प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा करने के पूर्व हो चुकी है प्रतिवादी नं 1 से 6 के उत्तराधिकारियों को पक्षकारान् बनाने से दावा काबिल खारजी है।

**(प्रतिवादी)**

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:39 IST
Reason: SelfAttested

**तनकी संख्या 6.**

आया अमित कुमार का जन्म भवानीशंकर के जीवनकाल में नहीं हुआ है, अतः बपौती जायदाद में उसके अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

**(प्रतिवादी)**

**तनकी संख्या 7.** अनुतोष

साक्ष्यवादी हेतु कचरू पुत्र जीवा तत्पश्चात मानजी पिता हुरजी ने पेश किया जो शामिल पत्रावली है। साक्ष्यवादी के अन्य शपथ–पत्र अणदु पटनी स्व. कचरू, भेमा पिता हरदीया के पेश हुये। बाद जिरह साक्ष्य वादी द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी 01.09.15 को साक्ष्यवादी बंद की गयी तथा पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गयी। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु 10.03.16 को अमित कुमार का शपथ–पत्र पेश हुआ। दिनांक 05.03.21 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर पत्रावली वास्ते अंतिम बहस मुकर्रर की गयी।

पत्रावली पर अंतिम बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र के अभिवचनों को दोहराते हुये कथन किया कि मूल पुरुष जीवा वल्द भेम जी शिकमी काश्तकार था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा से धारा –20 (1) आर.टी.ए में जीवा पिता भेम जी जाति भील को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ है। हम 50 से अधिक वर्षों से काबिज काश्त है। प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार धारा–63 (4) आर.टी.ए में समाप्त हो चुके हैं। हमारा कब्जा टिनेन्सी अधिनियम के प्रभाव में (15.10.1955) आने से पूर्व का है व काश्तकार है।

अतः वाद स्वीकर फरमा प्रश्नगत आराजी पर हमें खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की डिक्री फरमावें। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब को ही बहस में शुमार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आघोपान्त अवलोकन कर गहन अध्ययन किया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर किया वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 फर्दअहकाम, प्रदर्श–2 प्रपत्र– अ, प्रदर्श–3 डिक्री, प्रदर्श–4 खसरा सेटलमेंट, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2059–62, प्रदर्श–6 गिरदावरी सम्वत् 2010–33 प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

हम वाद का निर्णय तनकीवार करना उचित समझते हैं।

**तनकी संख्या 1.**

**"आया वादीगण खाता संख्या 39 नया, 26 पुराना के खेत सर्वे नं 206 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद पर वादीगण बापूदादा के समय काबिज होकर काश्त कर रहे हैं वे वर्तमान कब्जा–काश्त वादीगण का है व नियमानुसार लगान अदा कर रहे है।"**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था प्रमाण के रूप में वादीगण ने प्रदर्श–1 फर्दअहकाम, प्रपत्र– अ, प्रदर्श–2 डिक्री, प्रदर्श–3 उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, प्रदर्श–4 खसरा सेटलमेंट, प्रदर्श–5 गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2033 पेश की। कॉलम–17,27 में जीवा वल्द भेम जी का नाम अंकित है। प्रदर्श 1 से 3 में भी जीवा वल्द भेम जी के पक्ष में डिक्री होना अंकित है। परन्तु डिक्री के अनुसार मुआवजा में कोई दस्तावेज साक्ष्य वादीगण द्वारा पेश नहीं किये गये। साथ ही लगान अदायगी की कोई रसीद भी पेश नहीं की गयी जिसे गवाह मानजी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

अतः तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में इस प्रकार निर्णित की जाती है कि वे प्रश्नगत आराजी पर शिकमी के रूप में काश्तरत थे।

**<u>तनकी संख्या 2.</u>**

**"आया वादग्रस्त खेत सम्वत् 1998 में वादीगण शिकमी काश्तकार होकर काबिज रहे हैं। तथा धारा 20 (1) आर.टी.एक्ट में प्रकरण संख्या 179/61 में आपसी तसफीया से वादीगण कचरू पिता जीवा को खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुये किन्तु रेवेन्यू रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। वादीगण के बाप दादा के वक्त से 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होने के कारण खातेदार घोषित होने के पात्र है।"**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था प्रमाण के रूप में वादीगण ने प्रदर्श–1 फर्दअहकाम, प्रदर्श–2 प्रपत्र–अ, प्रदर्श–3 डिक्री, प्रदर्श–4 खसरा सेटलमेंट पेश किये। अतः यह तनकी भी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में इस प्रकार निर्णित की जाती है कि वे शिकमी काश्तकार थे।

**<u>तनकी संख्या 3.</u>**

**"आया प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा–63 (4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके है व वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।"**

उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था।

इस तनकी को प्रमाणित करने हेतु वादीगण ने कब्जा प्राप्त करने का कोई साक्ष्य, मुआवजे की राशि चुकाने की रसीद लगान की रसीद इत्यादि पेश नहीं की।

अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

**<u>तनकी संख्या 4.</u>**

**"वाद का व्यवहार कारण वादीगण द्वारा जून 2004 पटवारी रेकॉर्ड देखने से उत्पन्न हुआ।"**

उक्त तनकी वादीगण को सिद्ध करनी थी।

प्रमाण के रूप में वादीगण द्वारा जून–2004 में जारी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो कि प्रश्नगत आराजी से सम्बधित हों।

अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

**<u>तनकी संख्या 5.</u>**

**"आया सभी प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा करने से पूर्व [illegible] चुकी थी। प्रतिवादी नं.1 से 6 के उतराधिकारियों को पक्षकार न बनाने से दावा काबिज खारिज [illegible]"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:39 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था।

प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की मृत्यु को प्रमाणित करने की, मृत्यु दावा संस्थित करने से पूर्व हुयी अथवा बाद में, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा इनके विधिक वारिसान कौन है इसका भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

**तनकी संख्या 6.**

**" आया अमित कुमार का जन्म भवानीशंकर के जीवनकाल में नहीं हुआ है अतः बपौती जायदाद में उसके अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।"**

उक्त तनकी प्रतिवादी को सिद्ध करनी थी।

प्रतिवादी ने अमित कुमार के जन्म एवं मृत प्रतिवादीगण (1–6) संबंध में भी कोई प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 7.** अनुतोष

उक्त तनकी का निर्णय समग्र विवेचना बाद किया जायेगा।

कायम तनकीयात पर निर्णय उपरान्त समग्र रूप से जाहिर होता है कि जीवा वल्द भेमजी शिकमी काश्तकार था तथा धारा– 20 (1) आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत वाद में वाद बाबत् मुआवजा रेवाशंकर वादी के पक्ष में निर्णित होकर शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों यथा जमाबंदी, पर्चा सेटलमेंट, गिरदावरी चतुवर्षीय, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा की डिक्री तथा मौखिक साक्ष्य, पक्ष में प्रमाणित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना धारा–19 (1) आर.टी.ए के खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने से उचित प्रतीत होते हैं।

निष्कर्षतः उक्त समग्र विवेचना एवं प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर वाद धारा 19 (1) (व) 19 (2) आर.टी.एक्ट तथा उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा निर्मित प्रकरण संख्या 179/61 धारा– 20 (1) आर.टी.एक्ट के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 39 नया 26 पुराना में खसरा नंबर 206 रकबा 02–04 बीघा ग्राम पिपलोद पटवार मण्डल लोधा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार पर्चाडिक्री जारी होकर निर्णय के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय मय डिक्री की सत्यप्रति तहसीलदार बांसवाड़ा को वास्ते नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

# डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या 89/2004**

उनवान मुकदमा

1. स्व. कचरू पुत्र श्री जीवा डिंडोर जाति भील, निवासी पिपलोद के वारिसान
1/1 श्रीमती अणदु पत्नी स्व. श्री कचरू आयु–55 वर्ष
1/2 श्रीमती वेस्ती पुत्री स्व. श्री कचरू (पत्नी दलिया) आयु–35 वर्ष
2. स्व. नाकु पुत्र हुरजी जाति भील, निवासी पिपलोद के वारिसान
2/1 पवन पुत्र स्व. श्री नाकु जाति भील
2/2 प्रवीण पुत्र स्व. श्री नाकु जाति भील
2/3 श्रीमती मनु पत्नी स्व. श्री नाकु जाति भील
3. मानजी पुत्र स्व. हुरजी जाति भील
समस्त निवासीयान् पिपलोद तहसील बांसवाड़ा

**(वादीगण)**

**<u>बनाम</u>**

1. स्व. चुन्नीलाल पुत्र श्री प्रभुलाल चौबीसा
2. स्व. भवानीशंकर पुत्र श्री प्रभुलाल चौबीसा
3. स्व. विश्वनाथ पुत्र श्री हेतलाल
4. स्व. गंगाशरण पुत्र हिम्मतराम जी
5. स्व. गौरीशंकर पुत्र श्री आन्नदराम
6. स्व. रेवाशंकर पुत्र श्री आन्नदराम
समस्त जाति ब्राहमण निवासियान् बांसवाड़ा के वारिस
1–6/1 श्री अमीत व्यास पुत्र श्री चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहमण निवासी औदिच्यवाड़ा बांसवाड़ा
7. तहसीलदार बांसवाड़ा

**(प्रतिवादीगण)**

## दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

दिनांकः–16/01/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 39 नया 26 पुराना में खसरा नंबर 206 रकबा 02–04 बीघा ग्राम पिपलोद पट[illegible] पर [illegible] को [illegible]दार घोषित किया जाता है। इस अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। इस अ[illegible] की [illegible] जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद [illegible]रह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 16.01.23 [illegible] जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:39 IST
Reason: SelfAttested

**(प्रकाश चन्द्र रेगर)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**बांसवाड़ा**

| मुदई | रूपया पैसा | मुद्ववायलह | रूपया पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाप की अरजी दावा | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य |
| स्टाम्प वहज सबुत | शून्य | मेहनतनामा वकील | शून्य |
| मेहनतनामा वकील | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य |
| बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | मुतफरीक | शून्य |
| मुतफरीक | शून्य | | शून्य |
| कुल | शून्य | कुल | शून्य |

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

16/1/23

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:39 IST
Reason: SelfAttested